न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 49/2020

वदी	प्रतिवादीगण
1. वजाराम पुत्र विरमाराम जाति कलबी निवासी कोडका तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. नारायणसिंह पुत्र रामसिंहजी जाति राजपूत निवासी कोडका 2. रतनाराम पुत्र दलारामजी जाति कलबी निवासी कोडका 3. रामकंवर पत्नि मोड़सिंहजी जाति राजपूत निवासी कोडका तहसील रानीवाडा 4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करडा 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वदीया अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वकील श्री नारायणसिंह करणोत।
3. राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 01.04.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा कोडका तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.05 हेक्टेयर, व खसरा नम्बर 32 रकबा 6.68 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.73 हेक्टेयर की आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नारायणसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 168/673 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, रतनाराम पुत्र दलारामजी हिस्सा 168/673 जाति कलबी सा. देह खातेदार, रामकंवर पत्नि मोडसिंह हिस्सा 55/673 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, वजाराम पुत्र विरमाराम हिस्सा 282/673 जाति कलबी सा. देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नहीं होने से वादी को उक्त आराजी का विकास करने में बाधा आती हैं। इसलिये वादी ने आज से करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आपसी सहमति से कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं[illegible] 3 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में टालमटोल की। [illegible] बाद सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा वादी को [illegible] कि हम आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाडा नही करवायेगे तथा आपने ज्यादा किया तो हम तुम्हे तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देगे तथा अच्छी किस्म की आराजी का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाने का अधिकारी होने तथा वादी प्रतिवादीगण के उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने के अधिकारी होने से वादी की ओर से यह दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

2. मौजा कोडका तहसील रानीवाडा में स्थित खातेदारी नवीन खसरा नम्बर 31 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 6.68 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.73 हेक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बाई मिट्स एण्ड आधार पर बंटवाडा किया जाकर वादी को 282/673 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 168/673 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 168/673 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 को 55/673 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा को तहरीर जारी की जावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त व बंट की आराजी में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी से कोई दखल करावें।

3. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बाद तामील सम्मन प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर वकील श्री नारायणसिंह करणोत द्वारा इकबालिया जवाब दिया गया , प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व अनूपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

4. दिनांक 09.02.2021 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा कोडका के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.05 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 32 रकबा 6.68 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.73 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/195 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक 303 दिनांक 22.03.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित अधिवक्ताओं को पढकर सुनाया गया । जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	वजाराम पुत्र विरमाराम जाति कलबी सा.देह खातदेार	31	0.05	0.05	गै. मू. बैरा	गुलाबी	0.00
		32	6.68	2.77	बारानी प्रथम		11.08
2.	रामकंवर पत्नि मोडसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	32	6.68	0.55	बारानी प्रथम	श्याम	2.20
3.	नारायणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन त्डळठ शाखा करडा	32	6.68	1.68	बारानी प्रथम	हरा	6.72
4.	रतनाराम पुत्र दलाराम जाति कलबी सा. देह खातेदार	32	6.68	.1.68	बारानी प्रथम	हल्का पीला	6.72

6. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमी या नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. वजाराम पुत्र विरमाराम जाति कलबी निवासी कोडका तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. नारायणसिंह पुत्र रामसिंहजी जाति राजपूत निवासी कोडका 2. रतनाराम पुत्र दलारामजी जाति कलबी निवासी कोडका 3. रामकंवर पत्नि मोड़सिंहजी जाति राजपूत निवासी कोडका तहसील रानीवाडा 4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा करडा 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 49 / 2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री भोपालसिंह राठौड़ उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 3 की ओर वकील श्री नारायणसिंह करणोत उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	वजाराम पुत्र विरमाराम जाति कलबी सा.देह खातदेार	31	0.05	0.05	गै. मू. बैरा	गुलाबी	0.00
		32	6.68	2.77	बारानी प्रथम		11.08
2.	रामकंवर पत्नि मोडसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	32	[illegible]8	[illegible].55	बारानी प्रथम	श्याम	2.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

3.	नारायणसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन त्डळठ शाखा करडा	32	6.68	1.68	बारानी प्रथम	हरा	6.72
4.	रतनाराम पुत्र दलाराम जाति कलबी सा. देह खातेदार	32	6.68	.1.68	बारानी प्रथम	हल्का पीला	6.72

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.04.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	3	00	मुतफरिक	1	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested